

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(4)राज/वाद/19


जयपुर, दिनांक 12-7-2019

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 09.07.19 के द्वारा श्री गौरव चौबीसा, अधिवक्ता एनरोलमेन्ट नंबर आर/1551/08 को विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बांसवाडा के पद पर नियुक्त किया गया था।


उक्त आदेश दिनांक 09.07.19 के द्वारा श्री गौरव चौबीसा, अधिवक्ता एनरोलमेन्ट नंबर आर/1551/08 को विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बांसवाडा के पद पर की गई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाडा।
9. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बांसवाडा।
10. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
11. कोषाधिकारी, बांसवाडा।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोगामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि